न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

उस्मान खां पुत्र रिमझें खां

कौम मुसलमान नि० खारड़ी

तहसील - पचपदरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

राजस्थान राज्य जरिये

तहसीलदार, पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री उस्मान खां स्वंय वादी।
2. श्री तहसीलदार पचपदरा प्रविवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 09.12.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 469, 479, 483, 548 रकबा कुल 40.05, व 40-06 क्रमशः बीघा, सरहद मौजा खारड़ी, तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिंग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम इस्माईल खां होने से राजस्व रेकर्ड में इस्माईल खां नाम दर्ज किया गया। जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं स्कूल रेकर्ड में वादी का सही नाम उस्मान खां दर्ज है। वादी को [illegible] किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का [illegible] में [illegible] कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में [illegible] गलत नाम इन्द्राज इस्माईल खां के स्थान पर उस्मान खां सही [illegible] घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:26:47 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम इस्माईल खां पुत्र रिमदे खां के स्थान पर उस्मान खां पुत्र रिमदे खां .... दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी तहसीलदार पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा न0 469, 479, 483 व 548 रकबा कुल 40.05 व 40.06 बीघा कारडी सरहद मौजा .... तहसीलदार पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड प्यार का नाम इस्माईल खां .... दर्ज किया गया । वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम पंचायत .... एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम इस्माईल खां दर्ज किया गया है वादी का सही नाम उस्मान खां पुत्र रिमदे खां है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा मजमें आम में की जांच रिपोर्ट के आधार खेत खसरा नं 469, 479, 483 व 548 कुल रकबा 40.05, 40.06 बीघा, वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम इस्माईल खां के स्थान पर उस्मान खां पुत्र रिमदे खां घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को शिविर कारडी में मजमें आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:26:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट.........खारड़ी.......

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण	प्रतिवादीगण
उस्मान खां पुत्र रिमझे खां जाति मुसलमान निवासी खारड़ी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर	राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ......उस्मान......खां ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ....तहसीलदार पचपदरा पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ....469, 479, 483 व 548 रकबा कुल ......40.05 व 40.06. बीघा, सरहद मौजा ....खारड़ी..................

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....इस्माईल खां...........पुत्र ....रिमझे.......खां ...... के स्थान पर उस्मान खां.................. पुत्र ...रिमझे.... खां...खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..09.12.2021. को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:26:47 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रू	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		